

मध्यप्रदेश शासन
आनंद विभाग, मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक- 190/आ.वि./आ.क्लब/ 67/2017

भोपाल, दिनांक 29/07/2017

प्रति,

समस्त कलेक्टर्स,
मध्यप्रदेश।

विषय :- प्रत्येक आनंदम स्थल के लिए "आनंद क्लब" गठन करने के संबंध में।

संदर्भ :- 1. पत्र क्रमांक 224/आ.सं./आ.क्लब/2017, दिनांक 30.06.2017
2. विभागीय पत्र क्रमांक 51/आनंद/2016, दिनांक 30.12.2016

कृपया संदर्भित विभागीय पत्र क्रमांक 51/आनंद/2016, दिनांक 30.12.2016 का अवलोकन करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा जरूरतमंद व्यक्तियों को निःशुल्क वस्तुएं उपलब्ध कराने की स्वयंसेवी व्यवस्था "आनंदम" विभिन्न जिलों में संचालित की जा रही है।

सम्पूर्ण प्रदेश में 172 आनंदम स्थल संचालित किये जा रहे हैं। जिनमें से माह मई में 164 आनंदम स्थलों का पर्यवेक्षण किया गया है जिनमें से 97 आनंदम स्थलों की स्थिति संतोषजनक एवं 67 आनंदम स्थलों की स्थिति असंतोषजनक पाई गयी है।

आनंदम स्थल के प्रभावी संचालन के लिए निम्नानुसार कार्यवाही की अपेक्षा है :-

1. व्यक्ति में सहकार एवं अर्पण की भावना से आनंद का संचार होता है। इस तथ्य को ध्यान में रखकर आनंद क्लब के गठन की व्यवस्था की गई है। आनंद क्लब के पंजीयन की प्रक्रिया आपको तथा आनंदको को प्रेषित की गई है।
2. आनंदम के प्रभावी संचालन के लिए प्रत्येक स्थल के संचालन का दायित्व इच्छुक आनंद क्लब को दिया जा सकता है।

(इकबाल सिंह बैस)
अपर मुख्य सचिव
आनंद विभाग

क्रमांक- 191/आ.वि./आ.क्लब/ 67/2017

भोपाल, दिनांक 29/07/2017

प्रतिलिपि:-

1. समस्त आयुक्त, मध्यप्रदेश,
2. समस्त नोडल अधिकारियों की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अपर मुख्य सचिव
आनंद विभाग